राज्य योजना आयोग, नियोजन विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून

संख्या–1489 / दो–163 / रा0यो0आ0 / 2010 दिनांक–21 अक्टूबर, 2022

विज्ञप्ति

राज्य योजना आयोग, नियोजन विभाग, उत्तराखण्ड सचिवालय, देहरादून हेतु मासिक / दैनिक किराये के आधार पर वाहन उपलब्ध कराये जाने हेतु निविदायें आमंत्रित की जा रही हैं। निविदा प्रपत्र किसी कार्यदिवस में राज्य योजना आयोग कार्यालय, विश्वकर्मा भवन, चतुर्थ तल सचिवालय परिसर से **"आहरण वितरण अधिकारी, राज्य योजना आयोग"** के नाम से निर्गत रू0 500 / –(GST सहित) के चैक / ड्राफ्ट जमा करने पर अथवा विभागीय बैबसाईट **spc.uk.gov.in** से डाउनलोड कर प्राप्त किये जा सकते हैं। निविदा प्रपत्र प्राप्त किये जाने की अन्तिम तिथि दिंनाक–21–11–2022 निर्धारित है। निविदा सम्बन्धी विस्तृत नियम एवं शर्ते बैबसाईट **spc.uk.gov.in** से प्राप्त की जा सकती हैं।

बिना कारण बताये निविदा को निरस्त करने का पूर्ण अधिकार अपर सचिव, राज्य योजना आयोग, उत्तराखण्ड सचिवालय, देहरादून के पास निहित है।

वरिष्ठ शोध अधिकारी,
राज्य योजना आयोग।

राज्य योजना आयोग, (नियोजन विभाग), उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
किराये के वाहनों हेतु निविदा शर्ते

1. राज्य योजना आयोग, नियोजन विभाग, हेतु कार्यालय प्रयोगार्थ एक वर्ष के लिए इनोवा क्रिस्टा, इनोवा एवं स्विफ्ट डिजायर टॉप मॉडल किराये पर लिए जाने हेतु निविदा आमंत्रित की जा रही है। वित्तीय निविदा स्वीकृत होने के उपरान्त विभागीय आवश्यकतानुसार किसी भी वाहन को किराये पर लिया जा सकता है। निविदा दर स्वीकृत होने की तिथि से 01वर्ष के लिए मान्य होगा।

2. निविदा प्रपत्र/फार्म प्रत्येक कार्य दिवस (प्रातः 10.00बजे से सायं 06.00बजे तक) में कार्यालय राज्य योजना आयोग, (नियोजन विभाग) विश्वकर्मा भवन, चतुर्थ तल से धनराशि रू0 500.00 (रू0 पॉच सौ) मात्र (GST सहित) के भुगतान (चैक/ड्राफ्ट) जमा करने पर प्राप्त किये जा सकते है। विभागीय बैवसाईट spc.uk.gov.in से डाउनलोड किये जाने की स्थिति में निविदा प्रपत्र के साथ उक्त धनराशि चैक/ड्राफ्ट के रूप में जो कि **"आहरण वितरण अधिकारी, राज्य योजना आयोग"** के नाम देय हो, संलग्न किया जाना अनिवार्य है।

3. पूर्ण रूप से भरे हुए निविदा प्रपत्र दिनांक 21.11.2022 को अपराह्न 01.00बजे तक कार्यालय में प्राप्त किये जायेंगे, जो उसी दिन अपराह्न 3.00बजे निविदा समिति द्वारा उपस्थित निविदादाताओं के सम्मुख खोले जायेंगे।

4. निविदा प्रपत्र के साथ रू0–20,000/– की धरोहर धनराशि जो कि आहरण वितरण अधिकारी, राज्य योजना आयोग, उत्तराखण्ड, देहरादून के पदनाम से हो एफ0डी0आर0 के रूप में संलग्न करना अनिवार्य होगा अन्यथा निविदा निरस्त कर दी जायेगी।

5. वाहन टैक्सी में पंजीकृत एवं वर्ष–2020 के उपरान्त का माडल होना चाहिए तथा सार्थ ही रजिस्ट्रेशन प्रपत्र संलग्न किया जाये।

6. आपूर्ति किया जाने वाला वाहन उचित गुणवत्ता वाला होना चाहिए। वाहन के टायर, बैट्री, हैडलाईट, बीम, ब्रैक, इन्डिकेटर, वाईपर, शीशा, दरवाजे, एवं अन्य समस्त एसेसरीज उचित एवं उत्कृष्ट क्वालिटी का होना चाहिए।

7. वाहन नियमानुसार सम्भागीय/उप सम्भागीय परिवहन कार्यालय में पंजीकृत होना चाहिए तथा करार की अवधि में वाहन के समस्त प्रपत्र यथा–पंजीयन, परमिट, फिटनेस, बीमा, प्रदूषण प्रमाण पत्र आदि वैध होने चाहिए।

8. उपलब्ध कराये जाने वाला वाहन मोटरयान अधिनियम–1988 के अन्तर्गत ऑल इण्डिया परमिट से आच्छादित होना चाहिए। दिल्ली/नई दिल्ली में प्रचलित वर्तमान नियमों के तहत वाहन आवागमन हेतु उपयुक्त होना चाहिए, किसी भी निजी वाहन की आपूर्ति नहीं की जायेगी।

9. विभाग, मार्ग में होने वाली किसी प्रकार की क्षति अथवा अप्रत्याशित घटना/दुर्घटना के लिए उत्तरदायी नहीं होगा। मार्ग में दुर्घटना की स्थिति में किसी प्रकार के चिकित्सा बीमा, मुआवजा एवं अन्य विधिक आवश्यकताओं का अनुपालन सम्बन्धित आपूर्तिकर्ता द्वारा किया जाएगा।

10. वाहन आपूर्तिकर्ता फर्म का यह उत्तरदायी होगा कि चालक के पास पर्याप्त धनराशि उपलब्ध हो ताकि यात्रा के दौरान ईंधन, मरम्मत अथवा वाहन से सम्बन्धित अन्य व्यय किये जा सके।

11. मार्ग/यात्रा के दौरान वाहन में किसी प्रकार की खराबी होने पर आपूर्तिकर्ता फर्म को तत्काल अन्य वाहन की वैकल्पिक व्यवस्था करनी होगी। ऐसा न करने पर विभाग आपूर्तिकर्ता फर्म के व्यय पर स्वयं वैकल्पिक वाहन की व्यवस्था करने के लिए अधिकृत होगा।

12. वाहन का प्रयोग राज्य के भीतर एवं बाहर कहीं भी किया जा सकता है। वाहन का प्रयोग भारत सरकार द्वारा नई दिल्ली अथवा अन्य स्थान में आयोजित बैठकों में भी किया जाता रहेगा।

13. सम्बन्धित आपूर्तिकर्ता फर्म को वाहन में नियमित रूप से एक लॉगबुक रखना आवश्यक होगा और उस पर दैनिक आधार पर वाहन संचालन की प्रविष्ठि करते हुए उसे सक्षम प्राधिकारी से अभिप्रमाणित कराना होगा। माह के अंत में सम्बन्धित आपूर्तिकर्ता को भुगतान लॉगबुक के आधार पर किया जायेगा।

14. वाहन में नियमानुसार स्टपनी, टूल किट, फर्स्ट एड बॉक्स, आग बुझाने का यंत्र भी आपूर्तिकर्ता द्वारा स्वयं के व्यय पर रखना आवश्यक है। यह वाहन अन्यत्र उपयोग में नहीं लाया जायेगा।

15. वाहन में मैकेनिक कार्य एवं सर्विसिंग हेतु माह में एक दिन का अवकाश देय होगा।

18. वाहन चालक सहित उपलब्ध कराया जायेगा जिसका वेतन आदि का भुगतान वाहन स्वामी/ट्रेवल्स एजेन्सी द्वारा स्वयं वहन किया जायेगा।

19. वाहन चालक के पास पर्वतीय एवं मैदानी क्षेत्र हेतु निर्धारित अवधि तक के लिए वैध लाइसेन्स का होना अनिवार्य है वाहन चालक को मैदानी व पर्वतीय क्षेत्रों में वाहन चलाने का अनुभव होना आवश्यक है। लाईसेन्स की छायाप्रति कार्यालय में जमा करनी होगी।

20. वाहन चालक पर किसी प्रकार की पुलिस कार्यवाही/आपराधिक मामला लंबित नहीं होना चाहिये। चालक जो अपने कर्तव्यों का पालन उचित ढंग से करने में असमर्थ है अथवा उसका आचरण एवं कार्य संतोषजनक नहीं है, को हटाने हेतु आपूर्तिकर्ता को निर्देशित किया जा सकता है। ऐसी स्थिति में आपूर्तिकर्ता को तत्काल दूसरे चालक/स्टाफ की व्यवस्था करनी होगी।

21. यदि विभाग को अवकाश के दिन चालक की आवश्यकता होती है तो सक्षम प्राधिकारी के निर्देशानुसार वाहन कार्य पर लाना अनिवार्य होगा।

22. मासिक किराया एवं ईंधन व्यय प्रति लीटर किलोमीटर निविदा प्रपत्र में अंकित किया जायेगा, ईंधन का भुगतान वास्तविक चलाई गयी दूरी के अनुसार आगणित कर निकाला जायेगा।

23. सभी प्रकार के टोल टैक्स, प्रवेश कर, पार्किंग चार्ज आदि का भुगतान आपूर्तिकर्ता फर्म के द्वारा स्वयं किया जायेगा और उसकी प्रतिपूर्ति वास्तविक व्यय का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर विभाग द्वारा की जायेगी।

24. यदि आपूर्तिकर्ता फर्म द्वारा समय पर वाहन उपलब्ध नहीं कराया जाता है अथवा उसकी सेवायें सन्तोषजनक नहीं पायी जाती है तो उसकी जमानत की धनराशि जब्त करते हुए निविदा निरस्त कर दी जायेगी।

25. सफल निविदादाता की दर स्वीकृत होने की दशा में विभाग को जिस वाहन की आवश्यकता होगी उसी वाहन को किराये पर लिया जायेगा।

26. बिल भुगतान के समय बिल की धनराशि में से नियमानुसार जी0एस0टी0 की कटौती की जायेगी।

27. अपूर्ण एवं सशर्त निविदायें स्वीकार नहीं की जायेगी।

28. वाहन किराये का भुगतान बजट की उपलब्धता पर किया जायेगा।

29. निविदा स्वीकृत होने पर फर्म को विभागीय नियम एवं शर्तों के अनुरूप अनुबन्ध–पत्र हस्ताक्षरित किया जाना अनिवार्य है।

29. अधोहस्ताक्षरी को बिना कारण बताये एक अथवा समस्त निविदायें निरस्त करने का पूर्ण अधिकार होगा।

30. किसी भी विवाद हेतु न्याय क्षेत्र देहरादून होगा।

वरिष्ठ शोध अधिकारी,
राज्य योजना आयोग।

निविदा प्रपत्र (पृष्ट–1)

मूल्य रू–500/–

1. निविदादाता का नाम..

2. पता..
....

3. पेन नम्बर/जी0एस0टी0 नम्बर..

4. फर्म का रजिस्ट्रेशन नम्बर..

5. बैंक ड्राफ्ट संख्या/दिनांक..

6. धरोहर धनराशि रू0..नं0.......................................दिनांक.................................

7. टेलीफोन नं0..

8. फर्म को कभी ब्लैक लिस्ट किया गया है, क्या फर्म के विरूद्ध कोई विवाद/विधिक/आपराधिक कार्यवाही चल रही है/लम्बित है। ''हां'' और ''नहीं'' में उल्लेख का प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जायें।

फर्म स्वामी/अधिकृत प्रतिनिधि के
हस्ताक्षर नाम एवं पता

निविदा प्रपत्र (पृष्ठ–2)

1– प्रतिमाह किराये हेतु दरः–

क्र0 सं0	वाहन का मॉडल एवं प्रकार	मासिक किराया (रू0 में)	ईंधन खपत प्रति ली0 / कि0मी0	रात्रि विश्राम दर	अभ्युक्ति
1	इनोवा क्रिस्टा				
2	इनोवा				
3	डिजायर				

2– दैनिक किराये हेतु वाहन की दरः–

क्र0 सं0	वाहन का प्रकार	किराया प्रतिदिन प्रति कि0मी0 (पर्वतीय मार्ग) (रू0 में)	किराया प्रतिदिन प्रति कि0मी0 (मैदानी मार्ग) (रू0में)	न्यूनतम किराया कि0मी0 चार्जेज प्रतिदिन	अभ्युक्ति
1	इनोवा क्रिस्टा				
2	इनोवा				
3	डिजायर				

(सर्विस टैक्स, पार्किंग टैक्स, प्रदेश से बाहर जाने की स्थिति में देय टैक्स आदि पृथक से देय होगा)

फर्म स्वामी / अधिकृत
प्रतिनिधि के हस्ताक्षर नाम एवं पता